FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत जिला कलक्टर, अलवर मुकाम अलवर

उनवान :– **नेमीचन्द बनाम हुकम कौर वगै0**

किस्म मुकदमा अपील नम्बर **12 / 57 / 2017**

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.06.18	आज यह पत्रावली हमारे समक्ष पेश की गई। प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी अलवर के आदेश दिनांक 14–03–2017 के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है। हमने प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का अवलोकन किया एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007 का अवलोकन किया। वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007 के भाग 16(1) में स्पष्ट अंकित किया हुआ है कि –Any senior citizen or a parent ,as the case may be aggrieved by an order of a Tribunal may, within sixty days from the date of the order, prefer an appeal to the appellate Tribunal. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का न्यायालय हाजा को सुनवाई का अधिकार नही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों। सुनाया। (प्रकाश राजपुरोहित) जिला कलक्टर अलवर (राज0)	